सिविल जज (सी० डि०) गोरखपुर।
UPGK050009002026

Misc. Civil Cases/226/2026
MUNEEB PRASAD Vs. UTTAR PRADESH SARKAR JARIYE COLLECTOR
दिनांक 11-08-2026

पत्रावली पेश हुई। पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 3ग मय शपथपत्र 4ग अन्तर्गत धारा 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी विवादित आराजी में बढकर सड़क का निर्माण कर लेना चाहते है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी यदि सड़क का निर्माण करने में कामयाब हो गये, तो वादी की अपूर्णनीय क्षति होगी। दावा अर्जेन्ट व अतिआवश्यक प्रकृति का है। यदि वादीगण धारा-80 जाफ्ता दीवानी के तहत नोटिस देने के उपरान्त बाद बितने मियाद नोटिस दावा दाखिल करेंगे तो उस सूरत में दावा का मकसद फौत कर जायेगा तथा वादीगण की अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए वादीगण को धारा-80 जाफ्ता दीवानी के तहत नोटिस प्रतिवादीगण-1 ता 4 के बावत भेजने से उन्मुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः याचना की गई है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादी को दफा 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता क लाभ देते हुए प्रस्तुत दावा दाखिल करने की अनुमति दिया जावे।

विपक्षी 8 उ.प्र. राज्य द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति 5ग दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि मामला कतई अर्जेन्ट प्रकृति का नहीं है तथा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थना पत्र वादी पोषणीय नहीं है। अतःश्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रार्थनपत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जाप्ता दिवानी निरस्त कर दिया जाये।

उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादीगण ने प्रार्थनापत्र के माध्यम से संक्षेप में कथन किया है कि प्रार्थी ने आराजी सं. 287 रकबा 0.239 एवं आराजी सं. 289 रकबा 0.231 हे. स्थित मौजा गायघाट, तप्पा सिकन्दरपुर, परगना चिल्लूपार, तहसील गोला जिला गोरखपुर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु वाद दाखिल किया है तथा कथन किया गया है कि प्रतिवादी विवादित आराजी में बढकर सड़क का निर्माण कर लेना चाहते है, यदि प्रतिवादी सड़क का निर्माण करने में कामयाब हो गये, तो वादी की अपूर्णनीय क्षति होगी। वादीगण को धारा-80 जाफ्ता दीवानी के तहत नोटिस प्रतिवादी के बावत भेजने से उन्मुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसपर विपक्षी द्वारा तथ्यात्मक प्रकृति की आपत्ति की गई है। न्यायालय के विचार में वादी द्वारा प्रस्तुत खतौनी के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी का नाम वादपत्र में दर्शित संपत्ति के बाबत राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। न्यायालय के विचार में यदि प्रतिवादी को दफा 80(1) व्यवहार प्रक्रिया संहिती के अन्तर्गत दो महीने की नोटिस दी गई तो वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का उद्देश्य विफल हो जायेगा जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति

होगी तथा मामला अर्टैंज प्रकृति का है। न्यायहित में वाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाना तर्कसंगत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 3ग अन्तर्गत धारा 80(2) स्वीकार किया जाता है। वादी को नोटिस से छूट प्रदान की जाती है। पत्रावली मूल वाद में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते मूल वाद दिनांक 13-08-2026 को पेश हो।

(आदर्श श्रीवास्तव)
सिविल जज (सी0डि0)
गोरखपुर

Digitally signed by ADARSH SRIVASTAVA
Date: 2026.08.11 16:46:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court